कार्यालय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद आजमगढ़

सी.यू.जी. – 9454400250, दूरभाष- 05462-260403, ई-मेल- spazh-up@nic.in

पत्र संख्या- 263/2026 **प्रेस विज्ञप्ति** दिनांक- 08.07.2026

प्रेस विज्ञप्ति

जनपद आजमगढ़

दिनांक : 08.07.2026

पदीय दायित्वों के निर्वहन में घोर लापरवाही पर डायल-112 के 02 पुलिसकर्मी (01 मुख्य आरक्षी व 01 आरक्षी) के विरुद्ध कठोर कार्रवाई

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ द्वारा विभागीय जांच संस्थित, निलंबन आदेश जारी

जनपद आजमगढ़ में पुलिस विभाग में अनुशासन, जवाबदेही एवं कर्तव्यनिष्ठा बनाए रखने हेतु **वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ डॉ० अनिल कुमार** द्वारा निरंतर समीक्षा की जा रही है।

□ समीक्षा के दौरान यूपी डायल-112, जनपद आजमगढ़ के मुख्य आरक्षी बृजलाल पटेल व आरक्षी कमलेश कुमार गौड़, जो वर्तमान में थाना जहानागंज की पी.आर.वी. पर नियुक्त है। उक्त पुलिस कर्मियों ने पीआरवी चालक हो0गा0 राधेश्याम द्वारा लापरवाही पूर्वक पीआरवी वाहन चलाकर दिनांक 05.07.2026 को दीवाल में टक्कर मारकर छतिग्रस्त करने की सूचना कन्ट्रोल को नही दी गयी और न ही प्रभारी को अवगत कराया गया। मुख्य आरक्षी बृजलाल पटेल व आरक्षी कमलेश कुमार गौड़ के विरुद्ध अनुशासनहीनता, अकर्मण्यता, लापरवाही एवं स्वेच्छाचारित बरतने के आरोप प्रकाश में आये है।

प्रकरण की गंभीरता को दृष्टिगत रखते हुए **वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़** द्वारा संबंधित पुलिस कर्मियों के विरुद्ध उत्तर प्रदेश अधीनस्थ श्रेणी के पुलिस अधिकारियों की दण्ड एवं अपील नियमावली-1991 के प्रावधानों के अंतर्गत विभागीय जांच संस्थित करते हुए निलंबन की कार्रवाई की गई है।

➡□ **वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि जनपद के सभी पुलिस अधिकारी एवं कर्मचारी अपने दायित्वों का निर्वहन पूर्ण निष्ठा, ईमानदारी एवं अनुशासन के साथ करें। कर्तव्य पालन में किसी भी प्रकार की लापरवाही, अनुशासनहीनता अथवा गैर-जिम्मेदाराना आचरण पाए जाने पर कठोर विभागीय कार्रवाई की जाएगी।**

जनपद आजमगढ़ पुलिस कानून-व्यवस्था, जनसुरक्षा एवं अनुशासित पुलिसिंग के प्रति पूर्णतः प्रतिबद्ध है तथा कर्तव्य निर्वहन में किसी भी प्रकार की शिथिलता को कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

प्रेस विज्ञप्ति, दिनांक – 08 जुलाई 2026
जनपद – आजमगढ़

आपराधिक गतिविधियों मे संलिप्त 01 शस्त्र धारक का शस्त्र लाइसेंस किया गया निरस्त

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ डॉ0 अनिल कुमार ने आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त अब तक कुल 49 शस्त्र धारको के शस्त्र लाइसेंस किये निरस्त/निलंबित।

आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त शस्त्र धारको के विरुद्ध कार्यवाही के क्रम में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ डॉ0 अनिल कुमार के संस्तुति के बाद जिला मजिस्ट्रेट आजमगढ़ महोदय श्री रविंद्र कुमार के अनुमोदनोपरांत की गयी कठोर कार्यवाही ।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ डॉ0 अनिल कुमार के कुशल निर्देशन में जनपद में कानून-व्यवस्था एवं लोकशांति बनाए रखने हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपराधिक प्रवृत्ति के शस्त्र लाइसेंस धारकों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की गई है।

➡ जनपद आजमगढ़ के **01 शस्त्र लाइसेंस धारक का 01 शस्त्र लाइसेंस निरस्त किया गया** हैं, जो विभिन्न आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त पाया गया था। इस व्यक्ति के विरुद्ध अपराध पंजीकृत हैं एवं इनके कृत्यों से लोकशांति, जनसुरक्षा व आमजन में भय की स्थिति उत्पन्न हो रही थी। अतः इनके पास शस्त्र रहना जनहित में नहीं पाया गया।

➡ 01 जनवरी- 2026 से अब तक कुल 40 शस्त्र लाइसेन्स निलंबित/निरस्त किये गये हैं।

➡**वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ डॉ0 अनिल कुमार द्वारा अब तक कुल 49 शस्त्र लाइसेन्स निलंबित/निरस्त किये जा चुके हैं।**

➡ **निरस्त/निलंबित शस्त्र लाइसेंस धारक का नाम पता-**
आद्या चौहान पुत्र बासदेव चौहान निवासी ग्राम सड़वाहा थाना सरायमीर जनपद आजमगढ़ । (शस्त्र एनपी बोर रायफल– निरस्त)
निरस्त शस्त्र लाइसेंस धारक का आपराधिक इतिहास-

1- मु0अ0सं0- 76/2002 धारा- 147, 323, 504, 506, 336, 427 भादवि0 थाना सरायमीर जनपद आजमगढ़।
2- मु0अ0सं0- 192/2017 धारा- 447 भादवि0, 3/5 लोक सम्पत्ति निवारण अधि0 थाना सरायमीर जनपद आजमगढ़।
3- मु0अ0सं0- 67/2021 धारा- 323, 504, 506, 427 भादवि0 व 3(1)द, 3(1)ध, एससी/एसटी एक्ट थाना सरायमीर जनपद आजमगढ़।
4- मु0अ0सं0- nill/2018 धारा- 110G थाना सरायमीर जनपद आजमगढ़।

➡ **वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉ0 अनिल कुमार का वक्तव्य:-**
जनपद में अपराधी प्रवृत्ति के व्यक्तियों की गतिविधियों पर निरंतर निगरानी रखी जा रही है। जिनके पास शस्त्र होने से जनमानस की सुरक्षा को खतरा है, उनके विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई की जायेगी।

प्रेस विज्ञप्ति, दिनांक – 08.07.2026
थाना – जीयनपुर, जनपद – आजमगढ़

फर्जी अभिलेख तैयार कर मदरसा अनुदान में धोखाधड़ी करने वाला वांछित प्रबंधक गिरफ्तार, EOW जांच से जुड़े मुकदमे में पुलिस की कार्रवाई

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ डॉ. अनिल कुमार के निर्देशन में वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक (ग्रामीण) एवं क्षेत्राधिकारी सगड़ी के पर्यवेक्षण थाना जीयनपुर पुलिस को महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई है। थाना जीयनपुर पुलिस ने आर्थिक अपराध (EOW) की जांच से संबंधित मुकदमे में वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

दिनांक 10.02.2025 को राज्य विशेष अपराध अनुसंधान शाखा (EOW), मुख्यालय लखनऊ के निरीक्षक/जांच अधिकारी श्री कुँवर ब्रह्म प्रकाश सिंह द्वारा प्रस्तुत तहरीर एवं जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी, आजमगढ़ के आदेश के अनुपालन में थाना जीयनपुर पर **मदरसा वीर अब्दुल हमीद शिक्षण संस्थान, मुजार, आजमगढ़ (मदरसा आईडी–191100762)** के प्रबंधक द्वारा कूटरचित अभिलेख तैयार कर शासकीय लाभ प्राप्त करने के संबंध में **मु0अ0सं0- 57/2025** धारा **409, 420, 467, 468, 471, 465 भादंवि** पंजीकृत किया गया था। प्रकरण की विवेचना उपनिरीक्षक दल प्रताप सिंह द्वारा की जा रही है।

इसी क्रम में दिनांक 07.07.2026 को थाना जीयनपुर पुलिस ने मुकदमे से संबंधित वांछित अभियुक्त **आलीम अली पुत्र हासिम हुसैन, निवासी ग्राम कुर्ती जाफरपुर हुसैनाबाद, थाना कोपागंज, जनपद मऊ** को **जीयनपुर रोडवेज बस स्टैंड** के पास से समय करीब 18:50 बजे गिरफ्तार किया। अभियुक्त के विरुद्ध आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है।

पंजीकृत अभियोग-
मु0अ0सं0- 57/2025, धारा 409/420/467/468/471/465 भादंवि, थाना जीयनपुर, जनपद आजमगढ़।

अभियुक्त का आपराधिक इतिहास-
1. मु0अ0सं0 57/2025 धारा 409/420/467/468/471/465 भादंवि, थाना जीयनपुर, जनपद आजमगढ़।
2. मु0अ0सं0 59/2025 धारा 409/420/467/468/471 भादंवि, थाना जीयनपुर, जनपद आजमगढ़।
3. मु0अ0सं0 60/2025 धारा 409/420/467/468/471 भादंवि, थाना जीयनपुर, जनपद आजमगढ़।
4. मु0अ0सं0 83/2025 धारा 120बी/409/420/467/468/471 भादंवि, थाना मुबारकपुर, जनपद आजमगढ़।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम-
- उ0नि0 दल प्रताप सिंह, हे0का0 राजेश कुमार, रि0कां0 शिवम तिवारी, थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़ ।

प्रेस नोट, दिनांक : 08.07.2026
थाना : निजामाबाद, जनपद : आजमगढ़

फेसबुक पर रिश्तेदार के नाम से फेक आईडी बनाकर की गई साइबर ठगी में बड़ी सफलता: थाना निजामाबाद पुलिस ने पीड़ित के 46,011.89 रुपये कराए वापस

दिनांक 08.06.2026 को आवेदक मो. जफर खान पुत्र नासिर जमाल निवासी कस्बा निजामाबाद, थाना निजामाबाद, जनपद आजमगढ़ ने साइबर ठगी की शिकायत दर्ज कराई। आवेदक के स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के खाते से फोन-पे के माध्यम से फेसबुक पर उसके मामा के लड़के के नाम से बनाई गई फर्जी आईडी के जरिए विश्वास में लेकर 70,000 रुपये की साइबर ठगी कर ली गई थी।

आवेदक द्वारा **साइबर क्राइम हेल्पलाइन 1930** पर शिकायत दर्ज कराई गई, शिकायत प्राप्त होने के उपरांत थाना निजामाबाद साइबर टीम ने **NCRP पोर्टल** के माध्यम से त्वरित कार्रवाई करते हुए **46,011.89 रुपये** होल्ड कर दिए गए।

थाना निजामाबाद की साइबर टीम द्वारा नियमानुसार आवश्यक विधिक कार्रवाई एवं न्यायालय के आदेश के अनुपालन में दिनांक 08.07.2026 को साइबर फ्रॉड की 46,011.89 रुपये की धनराशि सफलतापूर्वक आवेदक के बैंक खाते में वापस कराई गई। धनराशि प्राप्त होने पर आवेदक ने आजमगढ़ पुलिस के प्रति आभार व्यक्त किया।

साइबर टीम में शामिल पुलिसकर्मी—

उ0नि0 दिलीप आनन्द,उ0नि0 मयंक कृष्ण उपाध्याय,का0 राकेश यादव, का0 संदेश सिंह, म0आ0 रेनू देवी थाना निजामाबाद जनपद आजमगढ़ ।

प्रेस नोट, दिनांक – 08.07.2026
थाना – गम्भीरपुर, जनपद – आजमगढ़

जानलेवा हमले के मुकदमे में वांछित अभियुक्त गिरफ्तार, घटना में प्रयुक्त बेलचा बरामद

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ अनिल कुमार के निर्देशन में जनपद में वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी एवं अपराध नियंत्रण हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में सहायक पुलिस अधीक्षक/क्षेत्राधिकारी सदर के कुशल पर्यवेक्षण में थाना गम्भीरपुर पुलिस को महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई है।

दिनांक 02.07.2026 को वादिनी मुकदमा मनोरमा पत्नी महेन्दर, निवासी ग्राम बहोरापुर, थाना गम्भीरपुर, जनपद आजमगढ़ द्वारा थाना गम्भीरपुर पर प्रार्थना पत्र देकर अवगत कराया गया कि दिनांक 15.05.2026 को रात्रि लगभग 09:00 बजे सुअर मारने के विवाद को लेकर विपक्षी सूरज पुत्र लालजी ने उनके पुत्र सचिन को अपने घर बुलाकर गाली-गलौज करते हुए बेलचा से हमला किया तथा जान से मारने की धमकी दी। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना गम्भीरपुर पर मु0अ0सं0- 118/2026, धारा 115(2), 352, 351(3) बीएनएस पंजीकृत किया गया । विवेचना के दौरान धारा 109(1) बीएनएस की बढ़ोत्तरी की गई।

इसी क्रम में आज दिनांक 08.07.2026 को उ0नि0 विपिन द्विवेदी एवं कां0 शिवराम सरोज द्वारा मुकदमा उपरोक्त में वांछित अभियुक्त **सूरज पुत्र लालजी निवासी ग्राम बहोरापुर, थाना गम्भीरपुर, जनपद आजमगढ़** को बहोरापुर से समय लगभग 11:06 बजे गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त की निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त **एक अदद बेलचा** बरामद किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त को आवश्यक विधिक कार्यवाही पूर्ण कर माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त-

- सूरज पुत्र लालजी निवासी ग्राम बहोरापुर, थाना गम्भीरपुर, जनपद आजमगढ़।

पंजीकृत अभियोग-

- मु0अ0सं0 118/2026, धारा 109(1)/115(2)/352/351(3) बीएनएस, थाना गम्भीरपुर, जनपद आजमगढ़।

बरामदगी-

- घटना में प्रयुक्त 01 अदद बेलचा।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम-

- उ0नि0 विपिन द्विवेदी, थाना गम्भीरपुर, जनपद आजमगढ़।
- कां0 शिवराम सरोज, थाना गम्भीरपुर, जनपद आजमगढ़।

प्रेस नोट, दिनांक : 08.07.2026

परिवार परामर्श प्रकोष्ठ/नई किरण, जनपद आजमगढ़

'नई किरण' प्रोजेक्ट से बिखरते रिश्तों को मिला सहारा, 02 परिवारों का सफलता पूर्वक समझौता कराया गया

परिवार परामर्श प्रकोष्ठ की सकारात्मक पहल, संवाद और समझाइश से सुलझे पारिवारिक विवाद

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ डॉ0 अनिल कुमार के निर्देशन तथा अपर पुलिस अधीक्षक यातायात/नोडल अधिकारी महिला एवं बाल सुरक्षा संगठन के पर्यवेक्षण में दिनांक 08.07.2026 को थाना कोतवाली, जनपद आजमगढ़ परिसर स्थित परिवार परामर्श प्रकोष्ठ/नई किरण की बैठक आयोजित की गई।

बैठक में कुल 06 पत्रावलियों में दोनों पक्षों को फोन एवं नोटिस के माध्यम से सूचित कर मध्यस्थता (मिडिएशन) हेतु बुलाया गया था, जिनमें से सभी 06 पत्रावलियों में दोनों पक्ष उपस्थित हुए। काउंसलिंग एवं अथक प्रयासों के उपरांत सभी 02 प्रकरणों में पक्षकारों को समझा-बुझाकर आपसी मतभेद दूर कर समझौता कराया गया।

मध्यस्थता के दौरान प्राप्त प्रकरणों में एक प्रकरण में आवेदिका के पति व ससुराल वालों द्वारा दहेज की मांग करना तथा प्रताड़ित करना तथा दूसरे प्रकरण में आवेदिका के पति द्वारा पड़ोसी व जेठानी के बहकावें में आकर शराब पीकर मारने-पीटने से संबंधित शिकायतों पर दोनों पक्षों की बात सुनते हुए उन्हें आपसी संवाद, सहनशीलता एवं पारिवारिक

मूल्यों के महत्व से अवगत कराया गया। सकारात्मक वातावरण में हुई काउंसलिंग के फलस्वरूप परिवारों में पुनः सामंजस्य स्थापित हुआ।

'नई किरण' प्रोजेक्ट का उद्देश्य पारिवारिक विघटन को रोकना, बिखरते रिश्तों को जोड़ना तथा परिवारों में आपसी सामंजस्य स्थापित करना है। यह पहल न केवल परिवारों को नई दिशा प्रदान कर रही है, बल्कि पारिवारिक न्यायालयों पर बढ़ते कार्यभार को कम करने में भी सहायक सिद्ध हो रही है।

कुल समझौते- 02

01. ज्योति पत्नी श्रीकृष्ण ग्राम- मीरपुर, थाना- निजामाबाद,जनपद- आजमगढ़।

02. शालू पत्नी अशोक ग्राम-मनरा, थाना-फूलपुर, जनपद-आजमगढ़।

उपस्थित अधिकारी/कर्मचारी-

- उ0नि0 महेन्द्र प्रसाद तिवारी, प्रभारी परिवार परामर्श प्रकोष्ठ
- आरक्षी सुनील कुमार गुप्ता व महिला आरक्षी नेहा सिंह

आजमगढ़ पुलिस का 'नई किरण' प्रोजेक्ट बिखरते परिवारों को जोड़ने और सामाजिक सौहार्द को सुदृढ़ करने की दिशा में एक प्रभावी एवं मानवीय पहल है।

प्रेस-विज्ञप्ति, दिनांक- 08.07.2026 जनपद आजमगढ़

"ऑपरेशन कनविक्शन" अभियान के तहत जनपदीय पुलिस की गुणवत्तापूर्ण विवेचना, मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन द्वारा की गयी प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप 01 आरोपी अभियुक्त को मा0 न्यायालय द्वारा अपमिश्रित शराब रखने के आरोप में **जेल में बितायी गयी अवधि (04 माह 29 दिन) के कारावास व 30000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।**

थाना जहानागंज में पंजीकृत अपराध जिसमें एक आरोपी अभियुक्त को अपमिश्रित शराब रखने के आरोप में **जेल में बितायी गयी अवधि (04 माह 29 दिन) के कारावास व 30000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।**

➡ दिनांक- 17.09.2013 को वादी मुकदमा उ0नि0 श्री वृजेश कुमार यादव थानाध्यक्ष जहानागंज जनपद आजमगढ़ लिखित तहरीर दी थी कि चेकिंग के दौरान **अभियुक्त मखन्चू प्रसाद पुत्र ठाकुर प्रसाद ठठेर निवासी स्टेशन रोड दुल्लहपुर, थाना दुल्लहपुर, जनपद गाजीपुर के कब्जे से 700 लीटर अपमिश्रित शराब बरामद होना।**

➡ अभियुक्त के विरूद्ध थाना जहानागंज पर मु0अ0सं0- 288/2013 धारा-272 भादवि व 60 आब0 अधि0 पंजीकृत किया गया।

➡ अभियुक्त के विरूद्ध आरोप पत्र मा0 न्यायालय में दाखिल किया गया।

➡ मुकदमा उपरोक्त में 6 गवाह परीक्षित हुए है।

➡जिसके क्रम में दिनांक- 08.07.2026 को मा0 न्यायालय ए0एस0जे0-3 आजमगढ़ द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित **अभियुक्त मखन्चू प्रसाद पुत्र ठाकुर प्रसाद ठठेर निवासी स्टेशन रोड दुल्लहपुर, थाना दुल्लहपुर, जनपद गाजीपुर को दोषसिद्ध पाते हुए जेल में बितायी गयी अवधि (04 माह 29 दिन) के कारावास व 30000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।**

प्रेस विज्ञप्ति, दिनांक : 08.07.2026
थाना : रौनापार, जनपद आजमगढ़

सोशल मीडिया पर हिन्दू देवता के प्रति आपत्तिजनक टिप्पणी करने वाला अभियुक्त गिरफ्तार

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ डॉ. अनिल कुमार के निर्देशन में थाना रौनापार पुलिस टीम द्वारा 01 अभियुक्त को पुलिस हिरासत में लेकर निरोधात्मक कार्यवाही की गयी है, जो सोशल मीडिया पर धार्मिक भावनाओं को आहत करने वाले एवं सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने का प्रयास कर रहा था।

वादी मुकदमा रितिसागर भारती, मठाधीश, निवासी रजादुर थाना जीयनपुर, जनपद आजमगढ़ द्वारा थाना रौनापार पर लिखित प्रार्थना पत्र देकर अवगत कराया गया कि अभियुक्त जितेन्द्र पासवान पुत्र मंगरु निवासी ग्राम ओढ़रा सलेमपुर थाना रौनापार जनपद आजमगढ़ ने सोशल मीडिया पर प्रसारित एक वीडियो में हिन्दू देवता के प्रति अत्यंत आपत्तिजनक एवं अपमानजनक शब्दों का प्रयोग किया है, जिससे करोड़ों लोगों की धार्मिक भावनाएं आहत हुई हैं तथा सामाजिक सौहार्द एवं शांति व्यवस्था प्रभावित होने की आशंका उत्पन्न हुई।
प्राप्त तहरीर के आधार पर दिनांक 08.07.2026 को थाना रौनापार पर मु0अ0सं0- 187/2026, धारा 299/302 बीएनएस के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत कर अग्रिम कार्यवाही प्रचलित है।
विवेचना के दौरान अभियुक्त **जितेन्द्र पासवान पुत्र मंगरु, निवासी ग्राम ओढ़रा सलेमपुर थाना रौनापार जनपद आजमगढ़, उम्र लगभग 48 वर्ष** को अंतर्गत धारा 170/126/135 बीएनएसएस में गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।
जनपद पुलिस द्वारा स्पष्ट किया गया है कि सोशल मीडिया पर किसी भी धर्म, देवी-देवता अथवा धार्मिक आस्था के विरुद्ध आपत्तिजनक सामग्री प्रसारित करने वालों के विरुद्ध विधिक कार्रवाई निरंतर जारी रहेगी। नागरिकों से अपील है कि सोशल मीडिया का जिम्मेदारीपूर्वक उपयोग करें तथा किसी भी प्रकार की भड़काऊ अथवा आपत्तिजनक सामग्री प्रसारित करने से बचें।